न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 08 / 2022

1 कुलदीप पुत्र हनुमान सिंह।
2 सुधीर पुत्र हनुमान सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामपाल सिंह पुत्र सुरजनसिंह।
2 चेताराम पुत्र रताराम समस्त जाति जाट निवासीगण हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर।
3 उप पंजियक सीकर जिला सीकर।
4 तहसीलदार तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांकित 11.02.2021 अनुवानी रामपाल सिंह बनाम चेताराम आदि प्रकरण संख्या 30 / 2021 आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री नानुराम बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारीलाल बरबड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 30/2021 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में एक प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी रामपाल सिंह बनाम चेताराम कृषि भूमि खसरा नम्बर 372,366 वाके ग्राम दादली तसहील व जिला सीकर के सन्दर्भ में प्रस्तुत कर दिनांक 11.02.2021 को एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तरिम रूप से जारी करवा ली जो तारीख दर तारीख बढ़ती हुई आगामी तारीख दिनांक 04.04.2022 तक है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन स्थगन से अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। विधि अनुसार एक पक्षीय स्थगन को विचारण न्यायालय को एक माह में निस्तारित किये जाने का प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा इसकी अवहेलना कर निरन्तर आगे बढ़ाया जा रहा है। अत अपील स्वीकार कर स्थगन खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रकरण के गुणावगुण का निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व अपील के स्तर पर विचारण न्यायालय के स्थगन में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नही है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण का निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व अपील के स्तर पर विचारण न्यायालय के स्थगन में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि आगामी दो माह में उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 का अन्तिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भ–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भ-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर